निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**4 श्रावण 1940 (श0)**

**(सं0 पटना 720) पटना, वृहस्पतिवार, 26 जुलाई 2018**

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
26 जुलाई 2018
अधिसूचना संख्या 20/2018–राज्य कर (दर)

एस० ओ० 218, दिनांक 26 जुलाई 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद् द्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या–548, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :–

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा,

"बशर्ते कि,-

(i) इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और

(ii) उक्त वस्तुओं के मामले में, माह जुलाई, 2018 के और इस माह तक के कर के भुगतान किये जाने के पश्चात् 31 जुलाई, 2018 तक अन्तःवर्ती आपूर्ति पर प्राप्त संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि बिना उपयोग किये गए पड़ी हो, व्यपगत हो जाएगी ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–2)–20 )]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

**26 जुलाई 2018**

एस0ओ0 218 दिनांक 26 जुलाई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–2)–20 )]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

---

***The 26th July 2018***

---

**Notification no. 20/2018- State Tax (Rate)**

S.O. 218, Date 26th July 2018—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No.5/2017- State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 548, dated the 29thJune, 2017, namely:-

'In the said notification, in the opening paragraph the following proviso shall be inserted, namely,

"*Provided* that,-

(i) nothing contained in this notification shall apply to the input tax credit accumulated on supplies received on or after the 1st day of August, 2018, in respect of goods mentioned at serial numbers1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C and 7 of the Table below; and

(ii) in respect of said goods, the accumulated input tax credit lying unutilised in balance, after payment of tax for and upto the month of July, 2018, on the inward supplies received up to the 31st day of July 2018, shall lapse.".

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)-20)]
By the order of Governor of Bihar,
DR. PRATIMA,
*Commissioner-cum-Secretary,*

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण) 720-571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**